



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 459]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 7, 2017/ ज्येष्ठ 17, 1939

No. 459]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 7, 2017/JYAISTHA 17, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2017

सा.का.नि. 558(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल, मोटर परिवहन कर्मशाला (अराजपत्रित) समूह "ख" एवं समूह "ग" पद भर्ती नियम, 2015 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, मोटर परिवहन कर्मशाला (अराजपत्रित) समूह "ख" एवं समूह "ग" पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- सीमा सुरक्षा बल, मोटर परिवहन कर्मशाला (अराजपत्रित) समूह "ख" एवं समूह "ग" पद भर्ती नियम 2015, में :-  
(क) नियम 3 में, शब्दों "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान" के लिए दोनों स्थानों पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जाएंगे;  
(ख) अनुसूची में-

(i) निरीक्षक ( तकनीकी ) पद से संबंधित कम संख्या 1 के सामने, -

(क) स्तंभ (4) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-7 ( रु. 44900-142400/-);

(ख) स्तंभ (11) में "प्रतिनियुक्ति" शीर्ष के अधीन,—

(i) मद् (क) के उप-पद (ii) में शब्दों एवं अंकों "वेतन बैंड-2 (रु. 9300-34800) तथा ग्रेड वेतन रु. 4200" के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400- 112400/-)" शब्द एवं अंक रखे जाएंगे;

(ii) टिप्पण - 2 का लोप किया जाएगा;

(ii) उप निरीक्षक (तकनीकी) पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने,—

(क) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:

"स्तर -6 (रु. 35400 - 112400/-)";

(ख) स्तंभ (11) में,—

(i) "प्रोन्नति" शीर्ष के अधीन, टिप्पण - 2 का लोप किया जाएगा;

(ii) "प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन" शीर्ष के अधीन, टिप्पण - 1 का लोप किया जाएगा;

(i) शब्दों और अंको "वेतन बैंड-2 (रु. 9300-34800) तथा ग्रेड वेतन रु. 4200" के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (रु. 35400-112400/-)" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) टिप्पण - 2 का लोप किया जाएगा;

(iii) मुख्य आरक्षक (तकनीकी) पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने,—

(अ) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:

"स्तर-4 (रु. 25500-81100/-);"

(आ) स्तंभ 11 में,—

(i) "प्रोन्नति" शीर्ष के अधीन, टिप्पण - 2 का लोप किया जाएगा;

(ii) "प्रतिनियुक्ति" शीर्ष के अधीन, मद् (क) में उप-मद् (ii) में शब्दों और अंको "वेतन बैंड-1 (रु. 5200-20200)" तथा ग्रेड वेतन रु. 2400" के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 (रु. 25500-81100/-)" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(iii) "भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन शीर्ष के अधीन,

टिप्पण -2 का लोप किया जाएगा;

(iv) कांस्टेबल (तकनीकी) पद से संबंधित क्रम संख्या 4 सामने,—

(अ) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी,

"स्तर-3 (रु. 21700-69100/-);"

(आ) स्तंभ 11 में, "भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन शीर्ष के अधीन, टिप्पण - 1 का लोप किया जाएगा;

[फा. सं. 17/121/2016-कार्मिक/सीसुबल]

प्रशांत निकम, निदेशक (कार्मिक)

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 169, तारीख 03 मार्च, 2015 द्वारा प्रकाशित और इसके पश्चात अधिसूचना सा.का.नि. 692(अ), तारीख 13 जुलाई, 2016 द्वारा संशोधित किए गये थे।



## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2017

**G.S.R. 558(E).**—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Border Security Force, Motor Transport Workshop (non-Gazetted) Group 'B' and Group 'C' posts Recruitment Rules, 2015, namely:-

1. (1) These rules may be called the Border Security Force, Motor Transport Workshop (non-Gazetted) Group 'B' and Group 'C' posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Border Security Force, Motor Transport Workshop (Non-Gazetted) Group 'B' and Group 'C' posts Recruitment Rules, 2015,-

(a) in rule 3, for the words "pay band and grade pay or pay scale" at both the places, the words "level in the pay matrix" shall be substituted;

(b) in the Schedule,-

(i) against serial number 1 relating to the post of Inspector (Technical),-

(A) for column (4) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"Level in the pay matrix
(4)
Level - 7 (Rs. 44900-142400)";

(B) in column (11), under heading "Deputation",-

(i) in item (a), in sub-item (ii), for the words and figures "Pay Band-2 (Rs. 9300-34800) plus Grade Pay Rs. 4200", the words and figures "level-6 in the pay matrix ( Rs. 35400-112400/-)" shall be substituted;

(ii) Note 2 shall be omitted;

(ii) against serial number 2 relating to the post of Sub Inspector (Technical),-

(A) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:-

"Level -6 (Rs. 35400-112400/-)",

(B) in column (11),

(I) under heading "Promotion", Note 2 shall be omitted;

(II) under heading "Deputation/Re-employment" Note 1 shall be omitted;-

(i) for the words and figures "Pay Band-2 (Rs. 9300-34800) plus Grade Pay of Rs. 4200",

the words and figures " Level-6 in the pay matrix ( Rs. 35400-112400/-)" shall be substituted;

(ii) Note 2 shall be omitted;

(iii) against serial number 3 relating to the post of Head Constable (Technical),-

(A) for the entries under column 4, the following entries shall be substituted; namely:-

"Level - 4 (Rs.25500-81100/-)";

(B) in column (11),

(I) under heading "promotion", Note 2 shall be omitted;

(II) under heading "Deputation", in item (a), in sub-item (ii), for the words and figures "Pay Band-I (Rs. 5200-20200) plus Grade Pay Rs. 2400", the words and figures "Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100/-)" shall be substituted;

(III) under heading "For Ex-Serviceman: Deputation/Re-employment", Note 2 shall be omitted;

(iv) against serial number 4 relating to the post of Constable (Technical),-

(A) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:-

“Level-3 (Rs. 21700-69100/-)”;

(B) in column (11), under heading “For Ex-Servicemen: Deputation/Re-employment”,

Note 1 shall be omitted.

[F. No. 17/121/2016-Pers/BSF]

PRASHANT NIKAM, Director (Pers)

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India Part-II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 169, dated the 3<sup>rd</sup> March, 2015 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 692(E) dated the 13<sup>th</sup> July, 2016.